



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 210]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 10, 1985/वैशाख 20, 1907

No. 210]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 10, 1985/VAISAKHA 20, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 मई, 1985

सांकांनि० 418(अ) :—केन्द्रीय सरकार, सरकारी बचत बैंक
अधिनियम, 1873 (1873 का 5) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों
का प्रयोग करते हुए, डाकघर सावधिक जमा नियम, 1981 का और
संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम
डाकघर सावधिक जमा (संशोधन) नियम, 1985 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. डाकघर सावधिक जमा नियम, 1981 में, नियम 7 में, सारणी
च और उसके नीचे के टिप्पण के स्थान पर, निम्नलिखित सारणी और
टिप्पण रखा जायेगा, अर्थात् :—

“सारणी च

(1 मार्च, 1983 को या उसके पश्चात् किन्तु 10 मई, 1985 के
पूर्व जमा रकमों के लिये)

जमा की अवधि	प्रतिवर्ष व्याज की दर
1 वर्ष	9 प्रतिशत
2 वर्ष	9-3/4 प्रतिशत
3 वर्ष	10-1/2 प्रतिशत
5 वर्ष	11-1/2 प्रतिशत

सारणी छ

(— 10 मई, 1985 को या उसके पश्चात् जमा
रकमों के लिये)

जमा की अवधि	प्रतिशत व्याज की दर
1 वर्ष	9 1/2 प्रतिशत
2 वर्ष	10 प्रतिशत
3 वर्ष	10-1/2 प्रतिशत
5 वर्ष	11-1/2 प्रतिशत

टिप्पण :— 1 अक्टूबर, 1979 को या उसके पश्चात् जमा रकमों के लिये ब्याज, यथास्थिति, सारणी ग या सारणी घ या सारणी ड या सारणी च या सारणी छ में विनिर्दिष्ट दरों पर संदेश होगा, जो अर्धवार्षिक अन्तराल पर संगणित की जायेगी।”

[सं० एफ 2(10)/85-एन एन]

ए० रंगाचारी, संयुक्त सचिव

मूल नियम, सांका०नि० सं० 664(अ), तारीख 17-12-1981 द्वारा प्रकाशित किये गये थे। पश्चात्तुर्वर्ती संशोधन सांका०नि० 300(अ) तारीख 1-4-1982 और सांका०नि० 257(अ) तारीख 11-3-83 द्वारा जारी किये गये थे।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th May, 1985

G.S.R. 418 (E):—In exercise of the powers conferred by section 15 of the Government Savings Banks Act, 1873 (5 of 1873), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Post Office Time Deposit Rules, 1981, namely :—

1. Short title and commencement—(i) These rules may be called the Post Office Time Deposit (Amendment) Rules, 1985.
(ii) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.
2. In the Post Office Time Deposit Rules, 1981, in rule 7, for Table F and the Note thereunder, the following Tables and Note shall be substituted, namely :—

“TABLE F

(For deposits made on or after the 1st March 1983 but before the 10th May, 1985)

Period of deposit	Rate of interest per annum
1 Year	9 Per cent
2 Years	9-3/4 Per cent
3 Years	10-1/2 Per cent
5 Years	11-1/2 Per cent

TABLE G

(For deposits made on or after the 10th May, 1985)

Period of deposit	Rate of interest per annum
1 Year	9-1/2 Per cent
2 Years	10 Per cent
3 Years	10-1/2 Per cent
5 Years	11-1/2 Per cent

Note:—For deposits made on or after 1st October, 1979, interest will be payable at the rates specified in Table C or Table D or Table E or Table F or Table G, as the case may be, calculated at half-yearly rest.”

[No.F.2/10/85-NS]

A. RANGACHARI, Jt. Secy.

The principal rules were published vide GSR No. 664(E) dated 17-12-1981. Subsequent amendments were issued vide GSR No. 300 (E) dated 1-4-82 and GSR No. 257 (E) dated 11-3-83.